

क्रमांक 30/82/79-एस०

01/03/08/161/108 लैटर्स

प्रेषक

लैटर्स

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

राजसभा पार्लियमेंट एक्ट १९४७

सेवा में

ने लैटर्स

आयुक्त अम्बाला/हिसार बण्डल तथा हरियाणा में सभी उपायुक्त।  
दिनांक चण्डीगढ़ 30 मई, 1980

लैटर्स इंडिया प्रिंटिंग और प्रिमियम प्रिंटिंग  
0221 ३५४५५५५ लैटर्स इंडिया

2 जून, 1980

विषय :—भूमि अभिग्रहण अधिकारियों (L.A.O.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने वारे नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान दिलाते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई रखी जाए। विभिन्न विभागों में नियुक्त भूमि अभिग्रहण अधिकारियों जोकि साधारणतया एच० सी० एस० अधिकारी होते हैं, की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने वारे इस समय कोई समान (uniform) नीति नहीं है। अतः इस विषय पर विचार उपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिलों में लोक निर्माण (B&R) तथा irrigation/drainage आदि विभागों के लिए नियुक्त भूमि अभिग्रहण (L.A.Os.) की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट जहाँ L.A.O. का मुख्यालय हो वहाँ का उपायुक्त initiate करेगा तथा सम्बन्धित मुख्य अधिकारी reviewing authority होगा और वित्तायुक्त accepting authority होंगे। यह निर्णय वर्ष 1980-81 के लिए लिखी जाने वाली गोपनीय रिपोर्टों से लागू होगा।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार  
मुख्य अधिकारी, एस० एस०

अधिकारी,

0301 ३५४५५५५ लैटर्स इंडिया

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 30/82/79-एस दिनांक चण्डीगढ़ 2 जून, 1980

एक एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:—

प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (सिचाई); प्रमुख अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य) कृपया इस पत्र की पावती भेजी जाए।